राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांक एफ 3 (C) (9) राईस/मूण्डला (अम्बे.पीठ)/2016/ 6365 जयपुर दिनांक 21/11/16

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव
समस्त प्रमुख शासन सचिव
समस्त शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त
आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर/जोधपुर।
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिला कलक्टर
समस्त पुलिस अधीक्षक
समस्त पंजीयक विश्वविद्यालय

विषय:– डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर की 125वीं वर्षगांठ पर 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:– सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली का अ.शा. पत्रांक 19022/16/2016-SCD-VI दिनांक 07.10.2016 एवं 19022/16/2016-SCD-VI दिनांक 15.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित अ.शा. पत्रों के क्रम में सम्पूर्ण भारत–वर्ष में संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 को द्वितीय ''**संविधान दिवस**'' के रूप में मनाये जाने एवं इस संविधान दिवस को **प्रति वर्ष** आयोजित किये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 2015 को अधिसूचना जारी की गई है।

अतः भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त अ.शा. पत्र दिनांक 07.10.2016 की छाया प्रति संलग्न कर आपसे अनुरोध है कि भारत के संविधान की आज के परिप्रेक्ष्य में भूमिका पर सरकारी कार्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में विचार गोष्ठी, वाद–विवाद, निबन्ध, मोक पार्लियामेन्ट आदि का आयोजन कर 26 नवम्बर, 2016 को द्वितीय ''संविधान दिवस'' का आयोजन कर भारतीय समाज को संविधान के प्रति जागरूक करावें। साथ ही राजकीय कार्यालयों में 26 नवम्बर, 2016 को राजपत्रित अवकाश होने पर पूर्व दिवस अर्थात 25 नवम्बर, 2016 को प्रातः 11:00 बजे शैक्षणिक संस्थाओं, राजकीय कार्यालयों में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया जाकर संविधान के बारे में लोंगो में जागरूकता बढाई जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार एवं उद्देशिका।

18/11

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 3 (C) (9) राईस/मूण्डला (अम्बे.पीठ)/2016/ 6366 जयपुर दिनांक 21/11/1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक, अम्बेडकर पीठ मूण्डला, जयपुर
4. निजी सचिव, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर को आपके डायरी क्रमांक 1325031 दिनांक 20.10.2016 के क्रम में।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ...
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव.....
9. निजी सचिव, शासन सचिव.....
10. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष, समस्त
11. समस्त संभागीय आयुक्त
12. आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर/जोधपुर।
13. जिला कलक्टर समस्त
14. पंजीयक, विश्वविद्यालय समस्त।
15. समस्त पुलिस अधीक्षक
16. निजी सचिव, निदेशक, जनसम्पर्क, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
17. निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
19. सहायक निदेशक (प्रचार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
20. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेलकर लेख है कि उक्त परिपत्र को संबंधित को ई–मेल करावें।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं अध्यक्ष राईस

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं** ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) **"प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य"** के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [3][SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [4][unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

---

[3] Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 2, for "SOVEREIGN DEMOCRAIC REPUBLIC" (w.e.f. 3-1-1977).

[4] Subs. by s. 2., ibid., for "unity of the Nation" (w.e.f. 3-1-1977).